

दिनांक	
05/07/23	<p>पत्रावली वादी के प्रार्थना पत्र मिलान वरको पेश हुई। वादी व वकील वादी उपस्थित और वादी ने अकात करमा है कि वादी उपकरण को मरिच के बलका नही माहो है। उपकरण मगर के रकारिज करमाक जाने की इस्तुका की है। मु.नं. 51/2022 विजसिद मस लखन प्रमाण केरक न लमाही केवकाका वादी गज के प्रार्थना पत्र पर मगर प्रहस के रकारिज किम जाता है। पत्रावली फौज शुकर देकर मरकर के कर है।</p>

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डैन सिटी (कौली)